उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (लेखा परीक्षा) अनुभाग
संख्याः–आडिट–2851/दस–11–356(1)/11
लखनऊ : दिनांक : 9 नवम्बर, 2011

विज्ञप्ति
नियुक्ति

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, 2008 के परिणाम के आधार पर श्री अंकुर गर्ग को जिला सम्परीक्षा अधिकारी, आगरा के पद पर रू0 9300–34800, ग्रेड पे–4800 के वेतनमान में निम्नलिखित शर्तो के अधीन नियुक्त किया जाता हैः–

(1) अभ्यर्थी का स्थाईकरण सुसंगत नियमों के अन्तर्गत किया जायेगा तथा जिला सम्परीक्षा अधिकारी के संवर्ग में अन्य अधिकारियों के साथ ज्येष्ठता का निर्धारण बाद में किया जायगा।

(2) अभ्यर्थी की सेवायें समय–समय पर संशोधित उत्तर प्रदेश स्थानीय निधि लेखा परीक्षा (अधीनस्थ) सेवा नियमावली, 1985 के प्राविधानों से शासित होगी तथा समस्त अन्य सेवा शर्ते भी उन पर लागू होंगी जो समय–समय पर शासन द्वारा निर्धारित की जाये।

2– इस आदेश की प्राप्ति पर निम्नलिखित सूचनायें/प्रमाण–पत्र वे निदेशक, स्थानीय निधि लेखा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद एवं शासन के वित्त (लेखा परीक्षा) अनुभाग को प्रस्तुत करेंगे।

(क) केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अन्तर्गत अब तक की गई सेवा के संबंध में घोषणा (संलग्न प्रपत्रानुसार)।
(ख) अपने कर्जदार न होने की घोषणा (संलग्न प्रपत्रानुसार)।
(ग) एक से अधिक पत्नी/पति न होने की घोषणा (संलग्न प्रपत्रानुसार)।
(घ) समस्त चल एवं अचल सम्पत्ति से संबंधित घोषणा, जिसके वे स्वामी हों (संलग्न प्रपत्रानुसार)।
(च) संलग्न प्रपत्र में निजी विवरण।
(छ) राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित पासपोर्ट साइज का एक नवीनतम फोटोग्राफ।
(ज) राजपत्रित अधिकारियों का चरित्र संबंधी दो नवीनतम प्रमाण–पत्र।
(झ) इण्डियन आफिसियल सिक्रेट्स ऐक्ट, 1923 के प्राविधानों को पढ़े जाने के संबंध में घोषणा (संलग्न प्रपत्रानुसार)।

3– अभ्यर्थी को सूचित किया जाता है कि जिला सम्परीक्षा अधिकारी के पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक होने की दशा में कृपया प्रस्तर–2 में मांगी गई सूचनायें/प्रमाण–पत्र शासन तथा निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, इलाहाबाद को भेजते हुए अविलम्ब निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 इलाहाबाद के अधीन कार्यभार ग्रहण कर लें।

वृन्दा सरूप,
प्रमुख सचिव।

....2...

Scanned with CamScanner

संख्याः–आडिट–2851(1)/दस–11–358(1)/11, तद्दिनांक 4–11–2011

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

2– निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 इलाहाबाद को इस अभ्युक्ति के साथ कि वे कृपया श्री अंकुर गर्ग, जिला सम्परीक्षा अधिकारी, आगरा के पद पर कार्यभार ग्रहण/तैनात करा दें तथा यथानियत प्रशिक्षण संबंधी कार्यवाही भी करें।

3– निदेशक, उ0प्र0 प्रशासन एवं प्रबन्ध अकादमी, अलीगंज, लखनऊ को इस अभ्युक्ति के साथ कि प्रशिक्षण की आगामी तिथि से कृपया निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 इलाहाबाद को अवगत करा दें।

4– सचिव, लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, इलाहाबाद।

5– कार्मिक अनुभाग--4 को उनके पत्र संख्या–1512/2011–का–4–2011, दिनांक 11–2–2011 के संदर्भ में।

6– श्री अंकुर गर्ग, द्वारा–सुधीर कुमार सर्राफ, घास मण्डी, चन्दौसी, जिला मुरादाबाद। (रजिस्टर्ड)

7– निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0 को गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।

8– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राम विशाल मिश्र)
विशेष सचिव।

Scanned with CamScanner